

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक : प. 3(2)सा.प्र.वि./6/2024- 3603

जयपुर, दिनांक : 29.07.2024

--:आदेश:-


राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अंतर्गत इस विभाग के पत्र क्रमांक प. 4(4)सा.प्र.वि./6/2008 दिनांक 26.03.2021 द्वारा स्वतंत्रता सेनानी या उसके आश्रित को रू. 50,000/- सम्मान पेंशन एवं रू. 5,000/- चिकित्सा सहायता राशि प्रतिमाह दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

विभागीय पत्र क्रमांक प. 4(4)सा.प्र.वि./6/2008 दिनांक 26.03.2021 के अतिक्रमण में 01 अगस्त, 2024 (August paid September) से स्वतंत्रता सेनानी या उसके आश्रित को सम्मान पेंशन राशि रू. 50,000/- को बढ़ाकर 60,000/- रूपये (अक्षरे साठ हजार रूपये मात्र) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। चिकित्सा सहायता राशि पूर्व की भांति रू. 5,000/- प्रतिमाह यथावत रहेगी।

उक्त व्यय बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को पेंशन आदि, सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24-पेंशन एवं उपादान, (राज्य निधि) से वहन किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई0डी0 क्रमांक 102400742 दिनांक 22.07.2024 द्वारा दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

आज्ञा से,


(नीतू राजश्वर)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव (जेएस), मुख्यमंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
7. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
11. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव